वित्तीय स्वीकृति / स्पीड पोस्ट

संख्या:6/2015/124प्रो0/51-2015-14(73)/2015

प्रेषक,

इन्द राज सिंह,
उप सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सन्त रविदास नगर भदोही ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग)लखनऊ :दिनांक25 फरवरी, 2015

विषय:- राज्य अतिथि के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 1176 एस0टी0-एसडीएम (ज्ञानपुर), दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथि के परिवहन से संबंधित पार्श्वांकित देयक के भुगतान हेतु धनराशि रुपये 7,818-00 (रुपये सात हजार आठ सौ अठठारह मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री उदय नरायन चौधरी, मा0 अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ।

दिनांक 16-11-2014,

वाहन संख्या: यू0 पी0-32, बी0 एन0-6117,

देयक संख्या: वारा0वी0आई0पी0टैक्सी-वी0एन0एस0-151, दिनांक 20-11-2014

रुपये 7,817-00

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नही किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किया जा रहा है ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन- आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक -मूलदेयक । भवदीय

(इन्द्र राज सिंह)
उप सचिव ।

संख्या:6/2015/124 (1)प्रो/51-2015-14(73)/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 महालेखाकार, उत्तर प्रदेश(प्रथम), इलाहाबाद ।

2 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग्-5

3 कोषाधिकारी, सन्त रविदास नगर भदोही ।

4 प्रबन्ध निदेशक , उ0 प्र0 राज्य सड्क परिवहन निगम, लखनऊ ।

5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड्क परिवहन निगम, वाराणसी

6- कार्यालय आदेश पुस्तिका । आज्ञा से

(इन्द्र राज सिंह)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।